8/1/18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील उप. पत्रावली में वकालतनामा [illegible] प्रार्थीगण अप्रार्थी ने [illegible] पेश की [illegible] पत्रावली के [illegible] वास्ते आइंदा दिनांक 22/1/18 को पेश हो। [signature]

22/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25/1/18 को पेश हो। [signature]

25/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया। [signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 299/2017

अनवान :–

कालू खां पुत्र स्व. सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

--- प्रार्थी

बनाम

1. मंजूरा पत्नी सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. हजूरा पुत्र स्व. सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बरकत अली 4. इमाम बक्श 5. नूर हसन पुत्रगण स्व. श्री सैय्यद खां उर्फ सैद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री खुशप्रीत संधू अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय दिनांक :– 25.01.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी के पिता सैयद मोहम्मद उर्फ सैद मोहम्मद पुत्र जहाना के नाम चक 7 डी.एल.पी. के पत्थर नम्बर 140/289 (34) किला नम्बर 17, 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 139/190, (56) किला नम्बर 6, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ता 25, पत्थर नम्बर 140/190 (57) किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 13, 18 ता 23, पत्थर नम्बर 140/191 (58) किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 12, पत्थर नम्बर 139/191 (59) किला नम्बर 2 ता 6 कुल 10.0950 हैक्टेयर में वादी के पिता सैयद खां उर्फ सैद मोहम्मद के नाम 2.119 हैक्टेयर हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मतः हक हकूक निहित है व प्रार्थी मुताबिक हक हिस्सा खातेदार का तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के हक व हिस्सा को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा इसलिए प्रार्थी वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि मे अपने हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। आदि आदि तथ्यो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित 10.0950 हैक्टेयर में वादी के पिता सैयद खां उर्फ सैद मोहम्मद के नाम 2.119 हैक्टेयर को गलत तरीका से अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने से ममनू व बाज रहने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र के साथ में शपथ पत्र प्रार्थी कालूखां, चित्रप्रति नकल जमाबन्दी चक 7 डी.एल.पी., मृत्यु प्रमाण पत्र सैयद खां, वारिसनामा शपथ पत्र आदि पेश किये गये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 29.11.2017 को एकपक्षीय अस्थाई निशेधाज्ञा रिकार्ड की यथास्थिति बाबत जारी की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिस पर अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 द्वारा हाजिर आकर जवाब पेश किया कि सैद मोहम्मद पुत्र जहाना के नाम दर्ज 2.119 हैक्टेयर आराजी सैद मोहम्मद की स्वय अर्जित आराजी है, जिसकी वसीयत सैद मोहम्मद द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा एंव से दिनांक 31.08.2017 को अप्रार्थी सख्या 3 ता 5 के पक्ष में पढ, पढाकर, सुन व समझकर कर सही होना मानकर रोबरू गवाहान अंगूठा लगाकर निश्पादित करवाई तथा निश्पादित करवाने उपरान्त नोटरी पब्लिक से रूबरू गवाहान तस्दीक करवाई तथा वसीयत में यह भी अंकन करवाया कि इस वसीयत बाबत भविष्य में कोई शरीक शहीम किसी प्रकार से वाद विवाद करता है तो वह अदालत मजाज में शून्य व बेमानी माना जावेगा तथा वसीयत के आधार पर प्रार्थी की मद सख्या 3 में सैद मोहम्मद के नाम दर्ज 2.119 हैक्टेयर आराजी के अप्रार्थी सख्या 3 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है, जिस हेतु तहसीलदार, हनुमानगढ द्वारा भी वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु आदेश पारित किया जा चुका है तथा तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ के आदेश को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

नही है। प्रार्थी, हम अप्रार्थी सख्या 4 ता 6 के हक–हिस्से की भूमि में किसी प्रकार के हक–हिस्से की घोषणा अपने पक्ष में करवाने का अधिकारी नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि मे किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी, हम अप्रार्थी सख्या 4 ता 6 के हक–हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार के हक–हिस्से की घोषणा अपने पक्ष में करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी भोला भाला एंव ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति नही है बल्कि प्रार्थी बहुत शातिर एव चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी को महरूम करने के आशय से गलत तरीके से वारिसानामा जारी करवाकर वादग्रस्त आराजी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के तथ्य मात्र प्रार्थना पत्र को रंग देने की नियत से अंकित किये गये है तथा अप्रार्थीगण वारिसानामा मे अपना नाम दर्ज करवाने वारिसानामा के आधार पर उक्त रक्बा रहन, बैय करने व वादी को पैतृक हक हिस्से से महरूम करने के तथ्य झूठे व गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह कर झूठे व गलत तथ्यो के आधार पर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करवाया है। प्रार्थी को वसीयत के दिवस से ही वसीयत बाबत जानकारी रही है तथा वसीयत के आधार पर तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ के आदेश के मुताबिक अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरण को रोकने की गर्ज से प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष झूठे व गलत आधारो पर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। जवाब की ताईद में चित्रप्रति नकल पर्चा खतौनी चक 7 डी.एल.पी. बहक जहाना व चित्रप्रति आदेश तहसीलदार दिनांक 13.11.2017, वसीयतनामा दिनांक 31.08.2017 आदि पेश किये। अप्रार्थी नं. 6 के विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है इसलिए प्रार्थी का जन्मत हक हकूक है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा कनफर्म की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उक्त तर्क का खण्डन करते हुए एवं जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि सैय्यद खां की स्व अर्जित सम्पति थी जिसकी अपने जीवनकाल में दिनांक 31.08.2017 को वसीयत की गई है जो निरस्त नहीं है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति पर प्रावधान लागू नहीं होते है। पृथम दृष्टतया प्रकरण सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। अपने तर्क की पुष्टि में जवाब की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेजात माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त DNJ(J.C)2016 P 570 की और ध्यान आकर्षित किया।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के मुतबकी शैय्यद खां की स्व अर्जित सम्पत्ति है। हको का निर्धारण मूल वाद में तैय होना है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण में यह देखा जाना है कि पृथम दृष्टतया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त किसके पक्ष में है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से पृथम दृष्टतया यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि सैय्यद खां की स्व अर्जित सम्पत्ति थी जिसकी दिनांक 31.08.2017 को वसीयत अपने जीवनकाल में की गई है जो अभी प्रभावी है। वसीयत की क्रियान्विति बाबत तहसीलदार हनुमानगढ़ के यहां कार्यवाही जैरकार है जिसमें वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 13.11.2017 को दिये गये है उक्त आदेश भी प्रभावी है। उपरोक्त विवेचन स्वरूप पृथम दृष्टतया प्रकरण सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज है। अतः दिनांक 29.11.2017 को जारी स्थगन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner